पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN:- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

E-mail:- hr@ptcul.org

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 वैबसाइट www.ptcul.org

पत्रांकः 110 / मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / जी–4 दिनांकः 27.01.2025

विषयः–भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान देने वाले शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी को मौन धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता / महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता
पिटकुल, ... ।

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 151 / XXXI(15)G/25-35(1) / 2006 दिनांक 21.01.2025 के द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या 2 / 10 / 2024 / पब्लिक, दिनांक 01 जनवरी, 2025 की प्रति संलग्न करते हुये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में **30 जनवरी को शहीद दिवस पर पूर्वाह्न 11:00 बजे पूरे राज्य भर में दो मिनट का मौन रखने एवं सामान्य कार्य / गतिविधियां रोकने हेतु निर्देशित किया गया है।**

अतः आपको उक्त पत्र की छायाप्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के सन्दर्भ में कारपोरेट मुख्यालय विद्युत भवन में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों (संविदा पर कार्योजित कार्मिकों सहित) को निर्देशित किया जाता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में **दिनांक 30.01.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे दो मिनट के मौन धारण हेतु पूर्वाह्न 10:50 बजे** कारपोरेट मुख्यालय के भूतल में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

सलग्नकः–यथोपरि।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

पत्रांकः / मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / जी–4 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव / डा0ए0ऑ0–निदेशक (मा0सं0) / (परिचालन) / (परियोजना) / (वित्त), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित पत्र को पिटकुल की वैबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
4. अधिशासी अभियन्ता मुख्यालय भुगतान ईकाई को इस आशय के साथ कि पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थायें करवाना सुनिश्चित करें।

सलग्नकः–यथोपरि।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

No. 272 /MD/PTCUL/ 61 Dt. 24/01/25

संख्याः 151/XXXI(15)G/25–35(1)/2006

प्रेषक,

विनोद कुमार सुमन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

प्रबन्ध निदेशक
पिटकुल, देहरादून

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादून दिनांक 21 जनवरी, 2025

विषयः भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान देने वाले शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी को मौन धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–2/10/2024/पब्लिक, दिनांक 01 जनवरी, 2025 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में हर वर्ष 30 जनवरी को पूर्वान्ह 11:00 बजे दो मिनट का मौन रखा जाता है और सामान्य कार्य/गतिविधियां रोक दी जाती हैं।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के कम में निम्नलिखित निर्देशों/उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

(क) 30 जनवरी को पूर्वान्ह 11:00 बजे पूरे राज्य भर में दो मिनट का मौन रखा जायेगा और सामान्य कार्य/गतिविधियां रोक दी जाय।

(ख) जहाँ कहीं संभव हो, दो मिनट के मौन की अवधि शुरू होने तथा समाप्त होने की सूचना सायरन बजाकर या आर्मी गन से दी जानी चाहिए। सायरन 10:59 बजे से 11:00 बजे तक बजाए जाने चाहिए और दो मिनट बाद 11:02 बजे से 11:03 बजे तक पुनः क्लियर सायरन बजाए जाने चाहिए। जहां सायरन उपलब्ध हो वहां यह प्रकिया अपनाई जाय।

(ग) सिग्नल (जहां उपलब्ध हो), सुनकर सभी व्यक्ति खड़े हो जाएं और मौन धारण करें।

(घ) जिन स्थानों पर सिग्नल की कोई व्यवस्था न हो, वहां पूर्वान्ह 11:00 बजे दो मिनट का मौन रखने के लिए सभी सम्बन्धितों को उपयुक्त अनुदेश दिए जा सकते हैं।

3– इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी है कि विगत में, यह देखा गया है कि कुछ कार्यालयों में दो मिनट का मौन रखा जाता है, परन्तु आम जनता इस अवसर की गम्भीरता पर ध्यान दिए बिना सामान्य रूप से अपने काम में लगी रहती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनुरोध है कि शहीद दिवस को पूरी गम्भीरता के साथ मनाया जाए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, तदनुसार, शहीद दिवस को मनाने के सम्बन्ध में अपने नियंत्रणाधीन सभी शैक्षिक संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदेश जारी कर सकती हैं। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय एकता के बारे में वार्ताएं और भाषण हाइब्रिड मोड में आयोजित किए जाएं।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों को अपने नियंत्रणाधीन सभी विभागों/कार्यालयों/संस्थाओं आदि के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही/उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

Signed by
Vinod Kumar Suman
Date: 20-01-2025 18:39:49

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ निजी सचिव-सचिव आवास,
ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा, नियोजन विभाग
उत्तराखण्ड शासन

कार्यालय में पत्र प्राप्ति की तिथि 24-1-25

प्राप्तकर्ता
कार्यालय प्रबन्ध निदेशक
पिटकुल, देहरादून

HR/Admin./PTCUL/D.Dun
Diary No. 180
File
Date 25/1/25

151/2024/1576-25 — 35(1) 2026

No. 2/10/2024-Public
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

North Block, New Delhi.
Dated: 1st January, 2025

To,

The Chief Secretaries/ Administrators of all
State Governments/Union Territory Administrations

Subject:- Observance of silence on 30th January (Martyrs' Day) in the memory of those who sacrificed their lives during struggle for India's freedom-

Sir/Madam,

I am directed to say that on 30th January, every year, two minutes' silence is observed at 11.00 AM., throughout the country, in the memory of those who sacrificed their lives during the struggle for India's freedom.

2. The following standing instructions have been laid down for observance of this day:

(i) Silence should be observed and work and movement stopped for two minutes throughout the country at 11.00 A.M. on 30th January.

(ii) Wherever feasible, the commencement and termination of the two minutes' silence period should be indicated by sound of siren or Army guns. Sirens should be sounded from 10.59 hours till 11.00 hours and after two minutes, all clear sirens should again be sounded from 11.02 hours till 11.03 hours. This procedure may be adopted where sirens exist.

(iii) On hearing the signal (wherever available), all persons would stand up and observe the silence.

(iv) At places where no signal systems is available, suitable instructions can be issued to all concerned for observing the silence for two minutes at 11.00 A.M.

3. In the past, it has been observed that while two minutes' silence is observed in some offices, the general public goes about its occupation in the ordinary course, unmindful of the solemnity of the occasion. The State/Union Territories Governments are requested to ensure that the Martyrs' Day is observed with due solemnity. State/Union Territories Government may issue instructions to all educational institutions and Public Sector Enterprises under their control for observance of the Martyrs' Day, accordingly. Talks/speeches on freedom struggle and national integration may also be organised including in hybrid mode.

Yours faithfully,

(Debobroto Basu)
Under Secretary to the Government of India
☎: 011-23092421